फर्द अहकाम

अज अदालत–**न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर**

रमाकान्त शर्मा **बनाम** अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रूपवास

किस्म मुकदमा अपील आर. टी. आई नम्बर 68 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
12.08.2021	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट रमाकान्त शर्मा पुत्र श्यामलाल निवासी कॉधोली पोस्ट ओडेल गद्दी तहसील रूपवास की द्वितीय अपील अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रूपवास के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रूपवास जिला भरतपुर के खिलाफ पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी रूपवास के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो कि उपखण्ड अधिकारी रूपवास के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है, नगर पालिका की प्रथम अपील सुनने का क्षेत्राधिकार अध्यक्ष नगर पालिका को है। आर.टी.आई एक्ट के तहत अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रूपवास के खिलाफ द्वितीय अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं है। अतः प्राप्त मूल अपील प्रार्थी को वापिस लौटाकर सूचित किया जावे कि वे नियमानुसार द्वितीय अपील सक्षम अधिकारी के यहां प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर (राज०	